

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-479/2026

मुकेश यादवबनाम.....उत्तर प्रदेश राज्य

दिनांक 18-02-2026

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांकित 06-02-2026 के अनुपालन में स्वयं आत्मसमर्पण करते हुए उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु समय की याचना की गयी है, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त को अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त **मुकेश यादव** द्वारा मु० 50,000/-रु० का नवीन स्वबंधपत्र प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा पूर्व में दाखिल प्रतिभू पर उसे दिनांक 26-02-2026 तक अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाता है।

नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

नियत तिथि पर अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करे।

विशेष न्यायाधीश,

(एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।